

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क्रमांक:- 193/2015 नि०फो०

संस्थापित दिनांक 03.09.2015

उमेश शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा उम्र 40 वर्ष।
निवासी ग्राम सेंथरी थाना महाराज पुरा जिला
ग्वालियर म०प्र०।

-----आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०।

-----अनावेदक/प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानीकर्ता द्वारा श्री विजय श्रीवास्वत अधिवक्ता।

गैर निगरानीकर्ता द्वारा श्री दीवानसिंह गुर्जर ए.पी.पी।

//आ दे श//

//आज दिनांक 08-09-2015 को पारित किया गया//

01. पुनिरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत पुनिरीक्षण आवेदनपत्र का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पुनिरीक्षणकर्ता ने न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद पीठासीन अधिकारी सु०श्री० प्रतिष्ठा अवस्थी के द्वारा प्र०कं० बी०एफ/2015 उमेश शर्मा वि० शासन पुलिस थाना गोहद में पारित आदेश दिनांक 27.08.2015 से व्यथित होकर वर्तमान पुनिरीक्षण आवेदनपत्र पेश किया गया है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पुनिरीक्षणकर्ता के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 451 जा०फौ० निरस्त किया गया है।
02. वर्तमान पुनिरीक्षण के संबंध में सुसंगत तथ्य इस प्रकार से हैं कि पुनिरीक्षणकर्ता द्वारा अपने आधिपत्य के वाहन स्कार्पियो जिसका पंजीयन क्रमांक एम.पी. 07 सी.बी. 3180 को पुलिस थाना गोहद के द्वारा किसी अपराध में झूठा फसाकर जप्त कर लिया गया जिसे सुपुर्दगी पर लेने बावत् अधीनस्थ न्यायालय में आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदनपत्र दिनांक 27.08.2015 को निरस्त किया गया है। जिससे व्यथित होकर पुनिरीक्षणकर्ता के द्वारा वर्तमान पुनिरीक्षण पेश की गई है।
03. पुनिरीक्षण कर्ता के द्वारा पुनिरीक्षण मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की गई है

कि अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय विधि विधान के विपरीत है। पुलिस के द्वारा अपराध झूठा पंजीबद्ध कर वाहन को जप्त कर लिया है। वाहन थाने पर खुले में रखा हुआ है जिससे वाहन के खराब होने की प्रबल संभावना है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपराध सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से वाहन का घटना में प्रयुक्त होना बताते हुए आवेदनपत्र खारिज किया गया है। यदि उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर नहीं दिया गया तो वाहन में क्षति होगी। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.08.2015 को निरस्त करते हुए आवेदक की निगरानी स्वीकार करते हुए जप्तशुदा वाहन आवेदक को सुपुर्दगी पर देने का निवेदन किया है।

04. गैरपुनरीक्षणकर्ता के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें हस्तक्षेप करने अथवा फेर-बदल करने का कोई आधार न होना बताते हुए पुनरीक्षण निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

05. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह है कि—

क्या अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.08.2015 वैधता, शुद्धता एवं औचित्यता की दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य न होने से अपास्त किए जाने योग्य है?

// निष्कर्ष के आधार //

06. निगरानीकर्ता अभिभाषक ने अपने तर्क में मुख्य रूप से व्यक्त किया कि जप्तशुदा वाहन का आवेदक पंजीकृत स्वामी है जो कि वाहन बीमित थी। उक्त वाहन की जप्ती गलत आधारों पर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मात्र इस आधार पर कि प्रकरण सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा जप्तशुदा वाहन का उपयोग घटना कारित करने में हुआ है उसे अनुसंधान हेतु आवश्यक बताते हुए सुपुर्दगी पर देने का आवेदनपत्र निरस्त किया गया है। जबकि अनुसंधान में उक्त जप्तशुदा वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है।

07. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। पुलिस थाना गोहद के द्वारा अपराध क्रमांक 246/2015 धारा 363 इजाफा धारा 365, 325 भा0दं0वि0 में स्कार्पिओ वाहन क्रमांक एम.पी. 07 सी.बी. 3180 आवेदक उमेश शर्मा से जप्त की गई है। आवेदक उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी होना रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र से स्पष्ट होता है। वाहन बीमाकृत होना तथा ड्राइविंग लाइसेंस भी पेश है। प्रकरण में उक्त वाहन के अनुसंधान हेतु कोई आवश्यकता न होना कैफियत रिपोर्ट में पुलिस थाना गोहद के द्वारा उल्लेख किया गया है। अपराध की

प्रकृति के अनुरूप भी उक्त वाहन की अनुसंधान हेतु आवश्यकता होनी दर्शित नहीं होती है।

08. विचारोपरांत उपरोक्त जप्तशुदा वाहन आवेदक के स्वामित्व का है, उक्त वाहन अधिक दिन तक थाने में रहने से खराब या अनुपयोगी हो सकता है। वाहन की अनुसंधान हेतु कोई आवश्यकता भी नहीं है। अतः पुनिरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत वर्तमान पुनिरीक्षण आवेदनपत्र स्वीकार कर विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2015 को अपास्त करते हुए यह आदेशित किया जाता है कि उसके द्वारा विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य 7,00,000/- (सात लाख रुपए मात्र) रुपए का सुपुर्दगीनामा तथा 2,00,000/- (दो लाख रुपए मात्र) रुपए की प्रतिभूति इस आशय का पेश हो कि वाहन के रंग रूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, वाहन को अनयत्र विक्रय या अंतरित नहीं करेगा, जब भी जहाँ भी वाहन की अनुसंधान व विचारण हेतु आवश्यकता होगी उपस्थिति रखेगा। उक्त अनुसार सुपुर्दगीनामा पेश होने पर वाहन को सुपुर्दगी पर दिया जावे।

09. आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय के बुलाए गए सभी अभिलेख वापिस हो ।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड